फैक्सः कार्या. 011-4625378
निवास. 011-3385460
फोनः कार्या. 4632298
4620435
निवास. 3782056

सत्यमेव जयते

एच.हनुमंतप्पा बी.ए.बी एल.
संसद सदस्य
अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार,लोकनायक भवन (पांचवा तल), नई दिल्ली 110003
निवास : 5-एबी,पंडारा रोड, नई दिल्ली-110003

अप्रैल 25, 1998

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मुझे आपको वर्ष 1996–97 और 1997–98 की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की चौथी रिपोर्ट सौंपने का गौरव प्राप्त हुआ है।

राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। निःसंदेह, हमारे देश ने उस समय से अब तक काफी प्रगति की है जब वह 15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को विदेशी शासन की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। राष्ट्र ने पिछले 50 वर्षों में बहुत प्रगति की है। तथापि आयोग को खेंद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि विकास के जो–जो लाभ प्राप्त हुए उनमें से अनेक लाभ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के गरीबों तक नहीं पहुंचे यहां तक कि इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें ये लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। योजना एवं सामाजिक–आर्थिक विकास के पांच दशक बीत जाने के बाद भी 20 करोड़ (10 करोड़ से अधिक) से भी अधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनमें से कई लोग आज भी सिर पर मैला ढोने का अपना परंपरागत व्यवसाय कर रहे हैं और सदियों से चले आ रहे इस कलंक को सह रहे हैं। कई मामलों में जहां कुछ लोगों के लिए यह विकास कार्यक्रम था वहीं इस अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि और संपत्ति की हानि हुई है। कई जनजातियां भोजन की तलाश करने और शिकार करने की आदिकालीन अवस्था में ही रह रही हैं।

हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जिसमें तेजी से परिवर्तन हो रहा है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। उन्नत संचार व्यवस्था और यात्रा के आधुनिक साधनों के कारण, हम एक दूसरे के काफी निकट आ गए हैं। लेकिन बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण गरीब लोग और भी अधिक गरीब हो गये हैं। 21वीं शताब्दी में प्रवेश करते हुए हमारे देश को यह सुनिश्चित करना है कि उसके कमजोर और दलित वर्ग विकास संबंधी लाभ लेने में पीछे न रहें और देश के कार्यों और शासन में उनका भी बराबर का प्रतिनिधित्व हो। उनकी जरूरतों पर ध्यान दिये बिना उग्रवाद और विखण्डनकारी प्रवृत्तियों को रोका नहीं जा सकेगा।

आज देश की उच्च प्रौद्योगिकी उधोगों, निर्यात, आयात, इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों, कंम्पूटरों, मोटर कारों, सेल्यूलर और बेतार (कॉर्डलैस) टेलीफोनों, वित्तीय संसाधनों, निर्यात संसाधन क्षेत्रों (जोनों) और अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, शेयर बाजार, सुख–साधन की वस्तुओं जैसे – रंगीन टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीनों, ए.सी., आधुनिक कृषि तकनीकों, खाद्य संसाधन तकनीक आदि के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इन क्षेत्रों में हुई भारत की प्रत्यक्ष प्रगति के संबंध में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सहभागिता निराशाजनक है। सभी प्रयास केवल नौकरियों में आरक्षण देने तक ही सीमित हैं और ये प्रयास भी निर्धारित सीमा तक पूरे नहीं हुए हैं।

आयोग ने यह माना कि इन लक्ष्य समूहों की स्पष्ट प्रगति के उपर्युक्त क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व निश्चित किया जाए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों में व्यावसायिक विविधता लाने और गतिशीलता बढ़ाने के लिए उद्यमवृत्ति को बढ़ावा देने की बात पर बल दिया जाए। उन्हें प्रशिक्षण, शिक्षा और वित्तीय एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराके आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में स्व–रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कई कार्य आवश्यक समझे गए हैं और इन समूहों की समुचित सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीति तैयार की जाए, जिसमें उनके सुरक्षण भी दिए गए हों।

तीसरी रिपोर्ट के पैटर्न के अनुसार, यह रिपोर्ट भी दो खण्डों में प्रस्तुत की जा रही है। खण्ड–1 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सांविधानिक सुरक्षण, शैक्षिक, आर्थिक विकास, भूमि, सेवा संबंधी सुरक्षण, झूठे सामुदायिक (जाति) प्रमाणपत्रों, अपराधों एवं अत्याचारों से संबंधित मामले दिए गए हैं और उन पर राष्ट्रीय स्तर पर एवं व्यापक पैमाने पर विचार किया गया है। खण्ड–2 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अध्याय दिए गए हैं और इनके विशिष्ट मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है ताकि इन्हें राज्यपालों के माध्यम से संबंधित विधानमंडलों में रखा जा सके।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माताओं के सपनों को बहुत से लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों में आज भी साकार किया जाना है। अब समय आ गया है जब केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के प्रति पूर्णतः